

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव

ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी

(बिहार, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब)

विषय: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यान्वयन/प्रगति पर चर्चा करने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस।

महोदय/महोदया,

आपके राज्य में एसबीएम (जी) का कार्यान्वयन हो रहा है और कार्य में तेजी आ रही है। चूँकि हम कार्यक्रम के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है कि न सिर्फ इसकी गति को बनाए रखा जाए बल्कि यदि कोई समस्या हो तो उसका निपटान कर इसके कार्य को और बढ़ाया जाए। परिणामों की गुणवत्ता और उनका स्थायित्व भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

2. अधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए यह अपेक्षित है कि जिला मजिस्ट्रेट अपने संबंधित जिलों में कार्यक्रम का नेतृत्व करें। आप नियमित रूप से जिला मजिस्ट्रेटों के साथ कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे होंगे। यह इच्छा है कि भारत सरकार जिला मजिस्ट्रेटों के साथ ऐसी एक समीक्षा में भाग ले ताकि कार्यान्वयन के मुद्दों की अच्छी जानकारी हो और साथ ही यदि कोई नीतिगत मुद्दा हो तो उसका भी निपटान हो सके। इस उद्देश्य के साथ राज्य अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार वीसी की श्रृंखला प्रस्तावित है:-

राज्य का नाम	वीसी की तिथि
बिहार	5.1.2016
हरियाणा	19.1.2016
राजस्थान	2.2.2016
पंजाब	9.2.2016

4. अनुरोध है कि आपके राज्य के नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि पर आपके द्वारा सभी डीसी तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधियों को आमंत्रित

करते हुए आपके स्तर पर वीसी आयोजित की जाए। राज्य की सुविधा के अनुसार वीसी का समय निर्धारित किया जाए।

5. मैं श्री एन. के. जोशी, परामर्शदाता (एसबीएम-जी) (दूरभाष 24362106) से इस कार्य को आगे बढ़ाने हेतु आपके राज्य के साथ समन्वय करने के लिए कह रहा हूँ।

भवदीय,

(सरस्वती प्रसाद)

संयुक्त सचिव (एसबीएम-ग्रामीण)

प्रति:

1. राज्य समन्वयक, एसबीएम-जी, संबद्ध राज्य

प्रति प्रेषित: सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु

1. सचिव, एमडीडब्ल्यूएस के पीपीएस
2. एसबीएम-जी, एमडीडब्ल्यूएस के पीएस
3. निदेशक, एनआईसी-मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने हेतु तथा वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करने हेतु
4. अवर सचिव, सामान्य/अनुभाग अधिकारी (सामान्य), एमडीडब्ल्यूएस आवश्यक व्यवस्था करने हेतु
5. श्री ओ.पी. अग्रवाल, पीएसए, एनआईसी/श्री विकास श्रीवास्तव, अनुभाग अधिकारी/श्री जुनैद उस्मानी, एनआरसी, परामर्शदाता।